पत्र सं॰–09/दै0वे0भो0–02–05/2015 ज॰स॰ :– 2615

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

प्रेषकः– फ्रांसिस जेवियर कुजूर,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई राँची/दुमका।

राँची दिनांकः– 31-7-15

विषयः– दैनिक वेतन भोगी अवधि के बकाया वेतन का भुगतान अनियमित रूप से अधिक राशि का भुगतान किए जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा कतिपय वादो एवं अवमाननावादों में परित न्यायानिर्णय के अनुपालन में कर्मियों को उनके दैनिक वेतन भोगी कार्यावधि का बकाया पारिश्रमिक राशि न्यूनतम वेतनमान के न्यूनतम वेतन के समतुल्य किया जाना था।

परंतु कतिपय वादों से संबंधित वादियों को बकाया पारिश्रमिक का भुगतान महगाई भाता, चिकित्सा भता तथा अन्य भत्तो को शामिल करते हुए किया गया है, जो वित्त विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के अनुकूल नही है। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में परामर्श दिया गया है कि ''दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को धारित पद के लिए स्वीकृत वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर जीवन यापन भता मकान किराया भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता को शामिल कर भुगतेय राशि की गणना की गई है जो सही नही है।''

विदित हो कि वितीय वर्ष के अंतिम दिनों में वित्त विभाग के परामर्शानुसार समरूप सभी कर्मियो को बकाया राशि का भुगतान भत्तों की राशि को घटाकर किया गया है। इस संबंध में संघ के माध्यम से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कर्मियों के बकाया भुगतान में असमानता एवं विभेद है। (छायाप्रति संलग्न)

अतएव विभाग को यह प्रतिवेदित/सूचित किया जाए कि किन–किन मामलों में कितने कर्मियों को परामर्श/नियम से हटकर भुगतान किया गया है। संबंधित कर्मियों के प्रमण्डलवार एवं कर्मीवार अधिकाई भुगतान की गई राशि पूर्ण विवरणी सहित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करायी जाए एवं आच्छादित वादों का भी अंकन किया जाए।

विश्वासभाजन,

ह॰ 30/7/15

(फ्रांसिस जेवियर कुजूर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 2615 रांची, दिनांकः– 31-7-15

प्रतिपिलिः– सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/ सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰ 30/7/15

(फ्रांसिस जेवियर कुजूर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 2615 दिनांक 31-7-15

प्रतिलिपि:- वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.7.15

ह॰ 30/7/15

सरकार के उप सचिव
(जल संसाधन विभाग)